# लोक शिक्षण संचालनालय
## मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भेपाल
E-Mail-additionaldirector10@gmailil.com

क्रमांक / पी0ए0 / विविध / ईपीईएस / 2018 / 95 भोपाल, दिनांक 28.09.2018

प्रति,

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
   (मण्डला, डिण्डोरी, अलीराजपुर, बड़वानी, अनूपपुर, झाबुआ को छोड़कर) मध्यप्रदेश।

2. समस्त जिला परियोजना समन्वयक,
   (मण्डला, डिण्डोरी,अलीराजपुर, बड़वानी, अनूपपुर, झाबुआ को छोड़कर) मध्यप्रदेश।

विषय :— एक परिसर एक शाला के क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश।

— 0 —

म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्र / एफ 44–19 / 2018 / 20–2, भोपाल दिनांक 05.09.2018 के तहत् एक परिसर एक शाला (EPES) की गाइडलाइन जारी की गई है। शासन के उक्त पत्र की कण्डिका 2. 1 के उप कण्डिका 1.1 के अनुसार एक परिसर एक शाला के रूप में चिन्हित परिसरों का आदेश जिला शिक्षा अधिकारी के प्रस्ताव पर जिला कलेक्टर के द्वारा जारी किया जाना था, किन्तु कई जिलों के द्वारा इसका पालन अभी तक नहीं किया गया है क्योंकि विगत दो माह से राज्य स्तर से सतत् निर्देशों के बावजूद आज पर्यन्त आपके जिले में उल्लेखित एक परिसर शालाओं का शतप्रतिशत सत्यापन पूर्ण नहीं किया गया है। अतः निर्देशित किया जाता है कि जितने परिसरों का सत्यापन पूर्ण हो गया है उनके आदेश जिला कलेक्टर के अनुमोदन के उपरान्त जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा तीन दिवस में जारी किये जायें तथा शेष परिसरों का सत्यापन दिनांक 05.10.2018 तक पूर्ण कर उनके आदेश भी शासन निर्देशों के अनुरूप जारी किया जाना सुनिश्चित् करें। दिनांक 08.10.2018 की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के पूर्व समस्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक शतप्रतिशत सत्यापन एवं सत्यापन उपरान्त जिलें में कुल संचालित एक परिसर शालाओं के आदेश जारी करने का प्रमाणीकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित् करें।

इसके अतिरिक्त यदि इसी सत्र में EPES का लाभ विद्यालयों को पहुँचाना है, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा की EPES विद्यालय वास्तविक रूप में एकीकृत ढंग से चल रहे हों, इस हेतु EPES के क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग आवश्यक है।

EPES के क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग के लिये एक Google sheet बनाई गई है, जिसे जिलों को दिनांक 11.09.2018 एवं 19.09.2018 को श्री डी0एस0 कुशवाह अपर संचालक लोक शिक्षण द्वारा ई–मेल पर Share कर दिया गया है। इस Sheet में कुल पॉच बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गई है। इन पॉच बिन्दुओं पर सभी EPES स्कूल के लिये Yes/No का Status दर्ज करना है। यदि किसी बिन्दु पर Status No है तो Sheet में पास के कॉलम में उसका कारण स्पष्ट करना है।

जिले स्तर से Google sheet विकासखंण्ड लेबल तक जल्द से जल्द Share हो जानी चाहिये। Elementary EPES स्कूल (PS/MS+PS/MS) के लिये CACs की जिम्मेदारी है कि वो इन पॉच बिन्दुओं पर विद्यालय की जानकारी Verify करायें और बीआरसी पर Google Sheet में इसकी एंट्री करायें। Secondary EPES स्कूल के लिये BEOs की जिम्मेदारी है कि वो इन पॉच बिन्दुओं पर विद्यालय की जानकारी Verify करायें और बीआरसी पर Google Sheet में इसकी एंट्री करायें।

साथ ही EPES योजना की महत्ता को सभी विकासखण्ड के अधिकारी एवं प्रधानाध्यापक/प्राचार्य/विद्यालय प्रमुख को समझाना आवश्यक है। इस हेतु श्री डी0एस0कुशवाह अपर संचालक लोक शिक्षण के द्वारा दिनांक 17.09.2018 को एक Power Point Presentation (प्रस्तुतीरकण) ई–मेल द्वारा भेजा गया है।

उपरोक्त के संबंध में अतिशीघ्र BEO एवं BRC की कार्यशाला कराकर उन्हें EPES के महत्व को समझाया जाये और अनुरोध किया जाये की वे अपने ब्लाक में EPES स्कूल के प्रधानाध्यापक/ प्राचार्य/विद्यालय प्रमुखों की कार्यशाला कर EPES का क्रियान्वयन सुनिश्चत करें।

(जयश्री कियावत)
आयुक्त
लोक शिक्षण,म0प्र0

पृ0कमांक/पी0ए0/विविध/ईपीईएस/2018/96 भोपाल, दिनांक 28.09.2018

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, म0प्र0, भोपाल।
3. समस्त कलेक्टर,(मण्डला, डिण्डोरी, अलीराजपुर, बड़वानी, अनूपपुर, झाबुआ को छोड़कर) मध्यप्रदेश।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (मण्डला,डिण्डोरी, अलीराजपुर, बड़वानी,अनूपपुर,झाबुआ को छोड़कर) मध्यप्रदेश।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. समस्त प्रभारी अधिकारी, (OIC), (मण्डला, डिण्डोरी,अलीराजपुर, बड़वानी, अनूपपुर, झाबुआ को छोड़कर) मध्यप्रदेश।

आयुक्त
लोक शिक्षण,म0प्र0